राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।

प.3( )आकृ/लेखा/PAYMANAGERDATA/2020–21/ दिनांकः–

कार्यालय आदेश

वित्त एवं आर्थिक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक एफ5 (थ–75)डीटीए/IFMS/3666–4165 दिनांक 13.09.2019, एफ5 (थ–75)डीटीए/IFMS/पे–मैनेजर/9023–9522 दिनांक 23.01.2020, एफ5 (थ–75)डीटीए/IFMS/पे–मैनेजर/226–425 दिनांक 15.04.2020, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक एफ 5 (थ–75)डीटीए/IFMS/पे–मैनेजर/8168–206 दिनांक 18.12.2019 एवं वित्त एवं आर्थिक मामलात विभाग राज0 जयपुर के पत्रांक एफ5 (थ–75)डीटीए/IFMS/पे–मैनेजर/2287–2436 दिनांक 26.06.2020 एवं एफ5 (थ–75)डीटीए/IFMS/पे–मैनेजर/3314–3514 दिनांक 22.07.2020 की अनुपालना में कृषि विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के पे–मैनेजर पर मास्टर डेटा की समस्त प्रविष्टियों की ऑनलाईन जांच कर अद्यतन कर प्रमाणित किया जाना है।

समस्त उप विभागाध्यक्ष (Sub HOD)/संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीयक कार्यालयों को निर्देशित किया जाता हैं कि खण्ड के अधीन आने वाले समस्त अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के पे–मैनेजर पर मास्टर डाटा अद्यतन उपरान्त जांच कर प्रमाणित करने हेतु विभागाध्यक्ष HOD को दिनांक 25.08.2020 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि कार्मिको को समय पर वेतन भुगतान किया जा सके, उक्त निर्धारित तिथि तक मास्टर डाटा नहीं भिजवाने की दशा में वेतन आहरण में होने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई/परेशानी के लिय खण्डीय कार्यालय स्वयं ही उत्तरदायी होगें। उप विभागाध्यक्ष (Sub HOD)/संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीयक कार्यालयों द्वारा अपने अधीन कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों समस्त प्रकार का मास्टर डाटा एक साथ ही प्रमाणिकरण हेतु भिजवाये एवं निम्न सारणी व प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

क.सं.	कार्मिक का नाम	एम्पलाई आई डी	विशेष विवरण
1			
2			
3			

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि मैने मेरे अधिन कार्यालय.. में कार्यरत समस्त कार्मिकों के पे–मैनेजर मास्टर डाटा की व्यक्तिशः जांच कर ली गई हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं। यदि कोई त्रुटि पाई जाती हैं, तो उसके लिये मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होऊंगा।

हस्ताक्षर उप विभागाध्यक्ष (Sub HOD)

कार्मिकों के पे मैनेजर पर मास्टर डाटा को प्रमाणिकरण संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी जावें।

(डा. ओमप्रकाश)
आयुक्त, कृषि विभाग,

प.3( )आकृ/लेखा/PAYMANAGERDATA/2020–21/ 51-250 दिनांकः– 28-7-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त उप विभागाध्यक्ष (Sub HOD)/संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड ।
2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी कृषि विभाग।
3. ए. सी. पी. मुख्यालय जयपुर को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशा.)